कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 08/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 07.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बहरियाबाद व थाना सादात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर गौ-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अदद देसी तमंचा 315 बोर 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 1 अदद बिना नंबर प्लेट की इंट्रा मैजिक पिकअप जिसपर 11 राशि गोवंश लदे हुए बरामद।

अपराध और अपराधियों के विरुद्ध व गो-तस्करी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.05.2025 को थानाध्यक्ष बहरियाबाद द्वारा थानाक्षेत्रांतर्गत मिर्ज़ापुर में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि पखनपुरा की तरफ से तेज रफ्तार में एक बिना नंबर प्लेट की इंट्रा मैजिक पिकअप जिस पर नीले रंग का त्रिपाल से ढका हुआ आती दिखाई दी संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इशारा किया गया तो उक्त पिकअप चालक/गो-तस्करों द्वारा उक्त वाहन को पुलिस फ़ोर्स के ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हुए प्यारेपुर चट्टी की तरफ भागने लगे। थानाध्यक्ष बहरियाबाद द्वारा जरिये दूरभाष जनपद नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) इकाई को व थाना प्रभारी सादात को सूचित करते हुए उनका पीछा किया गया। सूचना पर अग्रिम करवाई करते हुए थाना प्रभारी सादात मय टीम द्वारा व थानाध्यक्ष बहरियाबाद मय टीम द्वारा उक्त पिकअप वाहन व बदमाशों/गो-तस्करों को मिर्ज़ापुर-सादात के रास्ते पर दोनों तरफ से घेर लिया गया, तत्पश्चात उक्त पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खम्भे से टकराकर रुक गयी, गो-तस्करों द्वारा मैजिक पिकअप से नीचे उतरकर पिकअप वाहन का आड़ लेकर पुलिस टीम को दोनों तरफ से निशाना बनाकर जान से मारने नीयत से देशी तमंचे से फायर किया जाने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया तो 02 गो - तस्करों/ बदमाशों के बाएं पैर में गोली लगी तत्पश्चात् घायल शातिर गो - तस्करों को प्राथमिक उपचार हेतु CHC मिर्ज़ापुर भेजा जा गया। दो अन्य बदमाश अँधेरे का फायदा का उठाकर मौके से भाग गए तथा बरामद 11 राशि गोवंशो को भी उपचार हेतु पशु चिकित्सालय भेजा गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान घायल व्यक्तियों ने अपना नाम 1.सोनू यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी पचरासी थाना नंदगंज उम्र 39वर्ष व 2.सभाजीत यादव उर्फ़ शालू पुत्र रामफेर यादव निवासी लक्षिरामपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष बताया, भागने का कारण जानने की कोशिश की गई तो उक्त बदमाशों द्वारा बताया गया कि वे पूर्व में गो -तस्करी की कई घटनाओं मे शामिल रहे हैं पकड़े जाने के डर से हम फायर करते हुए भागने लगे। हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार /घायल अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सोनू यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी पचरासी थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर

2. सभाजीत यादव उर्फ़ शालू पुत्र रामफेर यादव निवासी लक्षिरामपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

1. 02 अदद देसी तमंचा 315 बोर
2. 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 01 अदद बिना नंबर प्लेट की इंट्रा मैजिक वाहन जिस पर 11 राशि गोवंश लदे हुए हैं।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

- **सोनू यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी ग्राम पचरासी थाना नंदगंज**

1. मु0अ0सं0- 13/2023 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश धारा 3/5A/8 थाना नगसर हॉल्ट जनपद गाजीपुर

2. मु0अ0सं0- 365/2020 धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 व आईपीसी धारा 143, 147,186, 341,352, 353,504 थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर

3.

3. मु0अ0सं0- 163/2023 धारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 3(1) थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

4. मु0अ0सं0- 29/2025 आयुध अधिनियम 1959, धारा 3/25 धारा 109 (1), 352, बीएनएस थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

5. मु0अ0सं0- 148/2023 आयुध अधिनियम धारा 3/25 व गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश की धारा 3/5A/8 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

6. मु0अ0सं0- 127/2023 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश की धारा 3/5A/8 थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

7. मु0अ0सं0- 50/2023 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश की धारा 3/5A/8   थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

8. मु0अ0सं0- 19/24 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, धारा 3(1) थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

- **शालू उर्फ सभाजीत यादव रामफेर**

आवासीय वर्तमान पता-लक्षिरामपुर बहरियाबार गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, आवासीय स्थाश्री पती-लक्षिरामपुर बहरियाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

1.मु0अ0सं0-120/2023 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं-476/2023 , भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 135 एंटी पावर थेप्ट थाना जौनपुर

<u>02. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 302/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में अभियुक्त द्वारा अपने विरुद्ध पंजीकृत अभियोग को छिपा कर अनुचित लाभ पाने हेतु धोखाधड़ी एवं जालसाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय का फर्जी मोहर/कूटरचित हस्ताक्षर बनाते हुए फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर भर्ती अधिकारी आई0एन0एस0 चिल्का भारतीय नौसेना को प्रेषित करने के सम्बन्ध में दिनांक 01.05.2025 थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2) BNS पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में आज दिनांक 07.05.2025 को अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी ग्राम सीता पट्टी थाना करण्डा जिला गाजीपुर उम्र 21 वर्ष को लंका बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-</u>

आदित्य सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी ग्राम सीता पट्टी थाना करण्डा जिला गाजीपुर उम्र 21 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

01. मु0अ0सं0 302/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2) BNS थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
02. मु0अ0सं0 148/2022 धारा 147,323,336,506 भादवि थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

<u>03. थाना बरेसर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 85/2025 धारा 80,85,115(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्ता व 01 नफर अभुयुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में उ0नि0 मो0 रुस्तम खां मय हमराह द्वारा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2025 धारा 80,85,115(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना बरेसर गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त 1.मु0 सैफ पुत्र इश्तियाक अहमद उम्र 28 वर्ष, 2. अभियुक्ता जीनत सुल्ताना पत्नी इश्तियाक अहमदम उम्र 46 वर्ष नि0 ग्राम अलावलपुर अफगां थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तराशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -</u>

01-मु0 सैफ पुत्र इश्तियाक अहमद उम्र 28 वर्ष ग्राम अलावलपुर अफगां थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

02-जीनत सुल्ताना पत्नी इश्तियाक अहमदम उम्र 46 वर्ष नि0 ग्राम अलावलपुर अफगां थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

<u>आपराधिक इतिहास -</u>

मु0अ0सं0 85/2025 धारा 80,85,115(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना बरेसर गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर